फा. सं. ऐरा/20010/एमओसीए -संदर्भ/2018-19 खंड-III
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
*****

ऐरा भवन,
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

दिनांक : 13 अक्तूबर, 2023

<u>सार्वजनिक सूचना संख्या 16/2023-24</u>

विषय: वैमानिक सेवाओं के लिए प्रभार वसूल करने के संबंध में

प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जा रही वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों का ध्यान ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) के प्रावधानों और अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए दिशा-निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। यह पुन: दोहराया जाता है कि हवाईअड्डा प्रचालकों/स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा संबंधित प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिक सेवाओं के प्रभार वसूल करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अनुपालन करना आवश्यक है।

2. हालही में ऐरा के ध्यान में यह लाया गया है कि कुछ हवाईअड्डा प्रचालक (प्रमुख हवाईअड्डों के) वास्तविक प्रयोक्ताओं से वैमानिक सेवाओं के लिए अपेक्षित विनियामक अनुमोदन प्राप्त किए बिना कुछ प्रभार वसूल कर रहे हैं और गैर-अनुमोदित टैरिफ लगाने की अनैतिक पद्धति अपना रहे हैं। एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि हवाईअड्डा प्रचालकों को गैर-अनुमोदित प्रभार/टैरिफ दरें वसूल करने और संग्रहित करने की अनुमति नहीं है और न ही वे इसके हकदार हैं। साथ ही हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं/यात्रियों को इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहिए और यदि वे ऐसा करते हैं तो यह ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों और इसके तहत बने दिशा-निर्देशों का पूर्ण उल्लंघन है।

3. जिन प्रमुख हवाईअड्डों के लिए वैमानिक परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जा रहा है उन हवाईअड्डों पर सेवा प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारित दिशा-निर्देशों/ प्रक्रियाओं के अनुसार ऐरा द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसे किसी भी मामले में एयरलाइनों सहित हितधारक इस संबंध में ऐरा से संपर्क करें।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सभी हवाईअड्डा प्रचालकों को एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे टैरिफ का आवश्यक विनियामक अनुमोदन मांगने के लिए और ऐसी वैमानिक सेवाओं, जिनके लिए प्रभार ऐरा द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए हैं, पर कोई प्रभार वसूल न करने के लिए बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ऐरा को समय पर प्रस्तुत करने की सांविधिक पद्धति का अनुपालन करें।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)